UPSR010015462025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06538**

क्रिमिनल रिवीजन नं०-72/2025

1– सीताराम उम्र 62 वर्ष पुत्र दुतई

2– राम कुमार उम्र 28 वर्ष पुत्र सीताराम

3– श्रीमती अनारा उम्र 60 वर्ष पत्नी सीताराम

4– राम प्रसाद उम्र 40 वर्ष पुत्र सीताराम

5– ननके उर्फ राजेश उम्र 35 वर्ष पुत्र सीताराम

6– बाउर उर्फ राकेश उम्र 25 वर्ष पुत्र सीताराम

निवासीगण–साकिन–रेवलिया, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1– समयदीन उम्र 56 वर्ष पुत्र गया प्रसाद

निवासी–खैरीकला, थाना–कोतवाली भिनगा, जनपद–श्रावस्ती।

2– राज्य उ0 प्र0 सरकार

.....विपक्षीगण

निर्णय

1– यह फौजदारी निगरानी अन्तर्गत धारा 438/440 बी0एन0एस0एस0 के तहत निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण सीताराम आदि द्वारा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, अवर खण्ड, श्रावस्ती द्वारा परिवाद संख्या 5144/2024 सीताराम बनाम समयदीन आदि में पारित तलबी आदेश दिनांकित 05.08.2025 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण सीताराम, राम कुमार, श्रीमती अनारा, राम प्रसाद, ननके व बाउर को अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0 पी0 एक्ट के तहत विचारण हेतु तलब किया गया है।

2– मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः–

परिवादी समयदीन ने परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने अपनी पुत्री बीनू देवी की शादी अर्सा करीब 5 वर्ष पूर्व राम कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरों के साथ किया था। परिवादी की पुत्री की शादी में परिवादी ने अपनी हैसियत अनुसार दहेज दिया जिसमें करीब 5 लाख रूपया खर्च किया था। परन्तु विपक्षीगण इतने दहेज से संतुष्ट नहीं थे।

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.06.02 14:48:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जब परिवादी की पुत्री विदा होकर अपने ससुराल गयी तो पति राम कुमार, ससुर सीताराम तथा सभी विपक्षीगण कम दहेज का ताना देते और बात–बात पर परिवादी की पुत्री को गाली गलौज कर मारने पीटने लगते। इस बात को जब जब बेटी मायके आती तो उससे बताती, लेकिन वह समझा बुझाकर पुनः ससुराल भेज देते। घटना दिनांक 15.10.2023 रात 8 बजे विपक्षीगण एक राय होकर परिवादी की पुत्री को बुरी तरह मारा पीटा व भद्दी–भद्दी गालियॉ दी तथा अतिरिक्त दहेज में रूपये 50,000 की मांग की। विपक्षीगण ने परिवादी की पुत्री को रस्सी में बांधकर मिट्टी का तेल डालकर जला देना चाहते थे, परन्तु मौका पाकर वह वहॉ से भागकर उसके घर आयी और आप बीती सुनाई तब सुबह वह अपनी पुत्री के साथ पुत्री के ससुराल ग्राम रेवलिया गया और कहा कि जो कुछ कहना है उससे कहो उसकी पुत्री को क्यों मारते पीटते हो, तब सभी विपक्षीगण एक राय होकर उसे व उसकी पुत्री को बुरी तरह मारा पीटा व भद्दी–भद्दी गालियॉ दी। अतः अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित करने की याचना की गयी।

3– तत्पश्चात् परिवादी का परिवाद अवर न्यायालय द्वारा पंजीकृत किया गया और दिनांक 20.09.2024 को परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 अंकित किया। परिवादी की ओर से अपने कथन के समर्थन में धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दिनांक 10.10.2024 को पी0 डब्लू0 1 वीनू देवी, दिनांक 18.10.2024 को पी0 डब्लू0 2 लाले प्रसाद के बयान अंकित कराये गये। उक्त साक्षीगण ने अपने साक्ष्य में परिवाद पत्र के कथनों का समर्थन किया है। तदोपरान्त न्यायालय ने प्रश्नगण आदेश दिनांकित 05.08.2025 द्वारा अभियुक्तगण सीताराम, राम कुमार, श्रीमती अनारा, राम प्रसाद, ननके व बाउर को अन्तर्गत धारा 498ए, 323, 504 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0 पी0 एक्ट के अधीन विचारण हेतु तलब किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत की गयी।

4– निगरानीकर्तागण द्वारा अपने निगरानी में यह आधार लिया गया है कि न्यायालय सिविल जज, अवर खण्ड/जे0 एम0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 गलत है व बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये सरसरी तौर पर किया गया है। परिवाद सं0 7922/2023 में परिवादी की पुत्री बीनू ने अपने परिवादपत्र में घटना दिनांक 15.09.2023 समय रात 8 बजे बताया गया है जिसका समर्थन परिवादी व उसके सगे भाई लाले पी0 डब्ल्यू0 3 ने भी किया है। परिवादी द्वारा पूर्व में दाखिल परिवाद सं0 79/2022 बीनू बनाम राम कुमार में घटना का दिनांक 15.09.2023 समय 8 बजे निरस्त हो गया। निरस्त होने के बाद परिवादी द्वारा उसी कथानक के आधार पर घटना दिनांक 15.10.2023 की दिखाते हुये वर्तमान परिवाद पेश किया है। परिवादी द्वारा अपने 200 सीआर0पी0सी0 के बयान में घटना का कोई समय नहीं बताया गया है सिर्फ

घटना की तिथि 15.10.2023 बतायी गयी है न ही कोई अतिरिक्त दहेज मांगने की बात बतायी गयी है सिर्फ मारपीट कर रस्सी से बांधना बताया है। विपक्षी सं0 1 समयदीन को निगरानीकर्ता सं0 1 ता 3 अपने पुत्री का विवाह पूर्व में कुशु कुमार व्यक्ति के साथ होने की बात छिपाकर निगरानीकर्ता सं0 2 राम कुमार से विवाह करा दिया। परिवादी की पुत्री स्वतंत्र प्रकृति की महिला होने के कारण परिवादी के साथ कभी रही ही नहीं है। परिवादी की पुत्री के द्वारा प्रधान न्यायाधीश/परिवार न्यायालय श्रावस्ती पर धारा 125 सीआर0पी0सी0 के तहत भरण–पोषण का वाद बीनू बनाम राम कुमार का प्रस्तुत किया है जिसमें घटना का दिनांक 15.09.2023 समय रात 8 बजे दर्शाया है जो विचाराधीन है और साक्ष्य में नियत है। अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

5– विपक्षी सं0 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने दाण्डिक निगरानी का विरोध करते हुये कहा है कि निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, अवर खण्ड, श्रावस्ती द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.08.2025 विधि के अनुसार पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करने में विद्वान अवर न्यायालय ने कोई त्रुटि कारित नहीं की है और उक्त आदेश उचित एवं सही है। अतः निगरानीकर्तागण की निगरानी निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6– निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों को पूर्ण अवलोकन किये बगैर विधि विरूद्ध तरीके से तलबी आदेश पारित किया है। साक्षियों के बयान में गम्भीर विरोधाभाष है। परिवादी द्वारा पूर्व में दाखिल परिवाद सं0 79/2022 बीनू बनाम राम कुमार में घटना का दिनांक समय 8 बजे जो निरस्त हो गया। निरस्त होने के बाद परिवादी द्वारा उसी कथानक के आधार पर घटना दिनांक 15.10.20213 की दिखाते हुए वर्तमान परिवाद पेश किया है। अतः प्रार्थना है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08.2025 निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

7– उभय पक्ष के तर्को को सुना व विचारण न्यायालय से तलबशुदा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

8– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी में इस निगरानी न्यायालय को अन्तर्गत 438/440 बी0एन0एस0एस0 के तहत यह देखना है कि आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त आदेश वैधता, शुद्धता एवं औचित्य की कसौटी में पारित किया है अथवा नहीं।

9– पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि परिवाद सं0 7922/2023 में परिवादी की

पुत्री बीनू ने अपने परिवादपत्र में घटना दिनांक 15.09.2023 समय रात 8 बजे बताया गया है जिसका समर्थन वर्तमान निगरानी के विपक्षी सं0 1 /परिवादी समय दीन व उसके सगे भाई लाले पी0 डब्ल्यू0 2 ने भी किया है। वह परिवाद विद्वान अवर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर निरस्त किया गया है। तत्पश्चात् उक्त परिवाद की परिवादिनी के पिता समयदीन द्वारा पुनः परिवाद प्रस्तुत किया गया। प्रथम परिवाद सं0 7922/2023 बीनू देवी बनाम राम कुमार में साक्षी समयदीन ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में यह कथन किया है कि घटना दिनांक 15.09.2023 समय 8 बजे रात की है जब वादिनी के ससुरालजन मिलकर वादिनी को बांध कर बुरी तरह से मारपीट कर जलाने का प्रयास किया, मौका पाकर वादिनी भागकर उसके घर आयी और अपने साथ हुई घटना की आप बीती बताई। जब उक्त परिवाद की परिवादिनी इस मामले के परिवादी के घर पर दिनांक 15.09.2023 को उसके घर आ गयी तो वह पुनः कैसे निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण के घर गयी और उसके साथ पुनः दिनांक 15.10.2023 को रात 8 बजे निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले परिवादिनी बीनू द्वारा प्रस्तुत परिवाद 7922/2023 विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2024 को निरस्त कर दिये जाने के उपरान्त उक्त मामले की परिवादिनी के पिता परिवादी समयदीन द्वारा पुनः दिनांक 15.10.2023 की रात 8 बजे की घटना दिखाते हुए परिवाद प्रस्तुत किया गया। मात्र एक माह बाद की घटना दिखाकर पुनः परिवाद अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार परिवादी पक्ष स्वच्छ हाथों से अवर न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। उनके द्वारा अवर न्यायालय को गुमराह करके पुनः दिनांक 05.08.2025 को तलबी आदेश पारित करा लिया गया है। दोनों परिवादों में समान गवाह हैं। इस प्रकार परिवादी पक्ष की ओर से जब उसका प्रथम परिवाद सं0 7922/2023 खारिज हो गया तब उनके द्वारा पुनः दूसरी घटना/तिथि बदलकर परिवाद सं0 5144/2024 दाखिल किया गया है।

10– उपरोक्त सभी तथ्यों, अभिलेखीय सामग्री एवं पक्षकारों के तर्कों के सम्यक परीक्षण से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण/निगरानीकर्तागण को विचारण हेतु तलब करने का आदेश विधिसम्मत् नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश अपने क्षेत्राधिकार के परे जाकर पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 05.08.2025 निरस्त किये जाने तथा दाण्डिक निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

11– निगरानीकर्तागण सीताराम एवं अन्य की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी सं0 72/2025 स्वीकार की जाती है तथा विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज, अवर खण्ड, श्रावस्ती द्वारा परिवाद संख्या 5144/2024 समयदीन बनाम सीताराम आदि में पारित तलबी आदेश दिनांकित 05.08.2025 निरस्त किया जाता है।

12– कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि मूल पत्रावली के साथ इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

13– दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संचित अभिलेखागार हो।

दिनांक 02.06.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक 02.06.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती